20.8.24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया मय अधिवक्ता उपस्थित नहीं। बार-बार व एक-दो बार आवाज लगाने पर भी प्रार्थीया व उनके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। प्रार्थीया का मूल वाद अदम हाजरी में खारीज हो चुका है। प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA वाद के अभाव में चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र वाद के अभाव में खारीज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा